न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 94/22

1. बजरंग सींवर पुत्र किशनाराम सींवर जाति जाट निवासी बीकानेर जिला बीकानेर
2. बलीराम डुडी पुत्र भींवराज जाति जाट निवासी बीकानेर जिला बीकानेर

वादीगण

बनाम

1. गणपतराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. मोहनराम पुत्र चिमाराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एंव चिर निषैधाज्ञा डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही
3. पेरोकार राज उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः–17.11.2022

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 192 एक सौ बानवे तादादी 1.3911 एक दशमलव तीन नौ एक एक हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में संयुक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें वादीगण का 998/1540 नौ सौ अठानवे बट्टा एक हजार पांच सौ चालीस हिस्सा है जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादीगण की उक्त हिस्सा भूमि खेत के बीच में बंटवारा में आई हुई है। वादीगण के दक्षिणी साईड में प्रतिवादी संख्या 2 मोहनराम की हिस्सा भूमि है व वादीगण के उतरी साईड में प्रतिवादी संख्या 1 गणपतराम की हिस्सा भूमि है। इसी प्रकार से मौका पर विभाजन किया हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ वादगत खेत को अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग–अलग कब्जा काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 30.08.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी 1 एक ता 2 दौ ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी 1 एक ता 2 दौ को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादीगण को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादीगण द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि का दावा पेश कर दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वाद के समर्थन में वादीगण ने जमाबंदी की सत्य प्रतिलिपि पेश की है। वादीगण ने साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया है जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील वादीगण की एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। वकील वादीगण ने मौखिक बहस में वादगत भूमि का उपरोक्तानुसार विभाजन करने का निवेदन किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य है। इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली का गहन अध्ययन करने एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कान्धलसर के खसरा संख्या 192 तादादी 1.3911 हेक्टेयर भूमि में सें वादीगण की 998/1540 हिस्सा भूमि जो सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार बीच में आई हुई है को अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner